प्रेषक,

राजेश कुमार अग्रवाल
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग ,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांक: 21 अप्रैल, 2022**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये अनुदान सं0-57 राजस्व मद के अंतर्गत आयोजननेत्तर कार्यो हेतु लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत धनराशि को प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-238/राजस्व मद (पान्टून सेतु)/सेतु-6/2022-23, दिनांक 05.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अनुदान सं0-57 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयोजनेत्तर कार्यों हेतु प्रदेश के नावों के पुल और नौघाट के अनुरक्षण व मरम्मत हेतु रू0 10.00 करोड़ तथा प्रदेश के पुलों के अनुरक्षण व मरम्मत हेतु रू0 16.6667 करोड़ अर्थात् कुल रू0 26.6667 करोड़ की धनराशि प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के निवर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये अनुदान सं0-57 राजस्व मद के अंतर्गत आयोजनेत्तर कार्यो हेतु लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत** कुल धनराशि रू0 2666.67 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र) को निम्नविवरणानुसार/ शर्तों के अधीन वित्तीय व्यय करने हेतु प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :- (धनराशि रू0 लाख में)

क्रं0 सं0	**योजना का नाम**	**आयोजनेत्तर कार्यों हेतु वर्ष 2022-23 में लेखानुदान के अंतर्गत प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) स्वीकृत धनराशि जो प्रमुख अभियंता के निवर्तन पर रखी जानी प्रस्तावित है**	
		लेखानुदान के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि	**धनराशि जो प्रमुख अभियंता के निवर्तन पर रखी जानी प्रस्तावित है**
1	**2**	**3**	**4**
	jktLo y[kk ----------		
1-	3054&lMd rFkk lr 04&ftyk rFkk vU; lMd 800&vU; 0;; 03&ukok d iy vkj uk?kkV 29& vuj{k.k	1000.00	1000.00
2-	3054&lMd rFkk lr 04&ftyk rFkk vU; lMd 800&vU; 0;; 04&iyk dk vuj{k.k ,o ejEer 29& vuj{k.k	1666.67	1666.67
	योगः - (राजस्व लेखा)	**2666.67**	**2666.67**

(1) प्रश्नगत धनराशि को प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 द्वारा एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2022-बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनॉक 29 मार्च 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(3) केवल स्वीकृत योजनाओं/मदों पर व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों के कार्यान्वयन में नहीं किया जायेगा। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के संबंध में कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2022-बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनॉक 29 मार्च 2022 में प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2022/212(1)/23-10-22, तददिनांक ।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हक0), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2 ।
5- नियोजन अनुभाग-4,
6- लोक निर्माण अनुभाग-1 / गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव।